

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/निःशुल्क/2016/1308 दिनांक: 25 फरवरी, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :-निःशुल्क शिक्षा योजना बाबत।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक 1287 दिनांक : 15.02.19.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र द्वारा निःशुल्क शिक्षा योजनान्तर्गत आपको निर्देशित किया गया था कि दिनांक 02.03.19 तक निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित कर, आवेदन पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर अपनी अभिशंषा सहित हस्ताक्षर मय सील लगाकर स्वीकृति की कार्यवाही कर आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित बजट की सूचना प्रेषित करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था कि पालना में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कार्यवाही दिनांक 02.03.19 तक पूर्ण कर सूचित करें एवं दिनांक 26.02.2019 की सायं 5.00 बजे तक अपने महाविद्यालय की Gmail पर "online 18-19" spreadsheet के coloum EJ से EL में प्राप्त आवेदनों की संख्या एवं अन्य जानकारी भरना सुनिश्चित करें।


कृपया कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।



(प्रदीप कुमार बोसड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि -

वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड हेतु।



(डॉ.आर.सी. मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)